"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़-गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 98] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी 2014— फाल्गुन 6, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2014

क्रमांक 1930/डी. 33/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-02-2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 3 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2014

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 (क्र. 20 सन् 1981) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) यह 31 अगस्त, 2013 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा.

धारा 2, 3 एवं 5 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 (क्र. 20 सन् 1981) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2, 3 एवं 5 में, जहां कहीं भी शब्द "सचिव" आया हो के स्थान पर, शब्द एवं संकेत "प्रमुख सचिव/सचिव" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 5 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) तथा इस उप-धारा के परन्तुक में, जहां कहीं भी शब्द "साठ" आया हो के स्थान पर, शब्द "बासठ" प्रतिस्थापित किया जाए.

निरसन. 4. छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्र. 3 सन् 2013) एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2014

क्रमांक 1930/डी. 33/21-अ/प्रारू./छ. ग./14.---- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 3 of 2014)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SACHIVALAYA SEVA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2014

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva Adhiniyam, 1981 (No. 20 of 1981).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014. **Short title and commencement.**

   (2) It shall come into force with retrospective effect from 31st August, 2013.

2. In Section 2, 3 and 5 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva Adhiniyam, 1981 (No. 20 of 1981), (hereinafter referred to as the Principal Act), for the word "Secretary", wherever it occurs, the words and slash "Principal Secretary/Secretary" shall be substituted. **Amendment of Section 2, 3 and 5.**

3. In sub-section (1) of Section 5 of Principal Act and proviso to such sub-section, for the word "sixty", wherever it occurs, the words "sixty two" shall be substituted. **Amendment of Section 5.**

4. The Chhattisgarh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva (Amendment) Ordinance, 2013 (No. 3 of 2013) is hereby, repealed. **Repeal.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.